



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-04/STA.-(विविध)-30/2016(खण्ड)-

पटना, दिनांक-

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत बिहार राज्य के अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु विभागीय सूचना पत्रांक-45, दिनांक-02.01.2026 द्वारा प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-05.01.2026 को निर्धारित थी। परन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त सुनवाई नहीं हो पायी।

उपर्युक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने के संबंध में प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-16.01.2026 के अपराह्न 03:00 बजे निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ह0/-

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 258

पटना, दिनांक- 14/01/2026

प्रतिलिपि:-सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

- आईटीओ मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे अविलम्ब सर्वसाधारण की सूचना हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

(Signature)
14/01/26
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-04/STA.-(विविध)-30/2016(खण्ड)- 258 पटना, दिनांक-14/01/2026

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत बिहार राज्य के अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु विभागीय सूचना पत्रांक-45, दिनांक-02.01.2026 द्वारा प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-05.01.2026 को निर्धारित थी। परन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त सुनवाई नहीं हो पायी।

उपर्युक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने के संबंध में प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-16.01.2026 के अपराह्न 03:00 बजे निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

Anchana
14/01/26
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।